फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :– पर्वतसिंह पुत्र नैनसिंह –::बनाम::– अप्रार्थी :– तहसीलदार

किस्म मुकदमा :– राजस्व प्रा.पत्र नम्बर :– 109/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हक हुक्म की तामील में जारी हुए
13.06.23	प्रार्थी उपस्थित। राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प भूम्बलिया में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत् पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा–रामपुरा में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 57 के ख.नं. 396/15, 500/7 व मौजा भूम्बलियां के खाता सं. 163 ख.नं. 126/5, 245/3 एवं खाता सं. 330 ख.नं. 25 में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम परबतसिंह पुत्र नेनसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में पर्वतसिंह पुत्र नैनसिंह हैं, प्रार्थी ने अपना नाम परबतसिंह पुत्र नेनसिंह के स्थान पर पर्वतसिंह पुत्र नैनसिंह अशुद्ध किये जाने का निवेदन किया हैं। प्रशासन गांवो के संग अभियान भूम्बलियां में मजमा–ए–आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें खाता संख्या 57 के ख.नं. 396/15, 500/7 व मौजा भूम्बलियां के खाता सं. 163 ख.नं. 126/5, 245/3 एवं खाता सं. 330 ख.नं. 25 संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम परबतसिंह पुत्र नेनसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में पर्वतसिंह पुत्र नैनसिंह दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम परबतसिंह पुत्र नेनसिंह के स्थान पर पर्वतसिंह पुत्र नैनसिंह शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता हैं। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधर पर मौजा– रामपुरा पटवार हल्का भूम्बलिया में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 57 के ख.नं. 396/15, 500/7 व मौजा भूम्बलियां के खाता सं. 163 ख.नं. 126/5, 245/3 एवं खाता सं. 330 ख.नं. 25 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि परबतसिंह पुत्र नेनसिंह को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक नाम " पर्वतसिंह पुत्र नैनसिंह " दर्ज ... तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू–अभिलेख ... हेतु निर्देशित किया जाता हैं, अन्य प्रविष्टियां ... आदेश की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो। Signature Not Verified Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi Date: 2023.12.11 12:16:55 IST Reason: SelfAttested SDO (श्याम सुन्दर बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)	